कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन,

"मेडिकल कालेज रोड़, छत्तीसगढ़, रायपुर"

शाखा–(वित्त–बजट)

E-Mail-Id : ccfbudgetcg@rediffmail.com Phone/Fax No. : 0771-2552236

//आदेश//

आदेश क्रमांक/बजट/ 40 रायपुर, दिनांक 14/07/2011

वन विभाग द्वारा कराये जाने वाले समस्त विभागीय कार्यो पर होने वाले व्यय के भुगतान करने के उद्देश्य से शासन, वन विभाग की टीप क्रमांक/ 335/10–2/96 दिनांक21.03.96. एवं वन वित्तीय संहिता के अध्याय – 04 व्यय के नियम 71 से प्रदत्त अधिकार के तहत् प्रधान मुख्य वन संरक्षक के आदेश क्रमांक /बजट 15/14 दिनांक 12.07.2007 से वनमंडलाधिकारियों (आहरण एवं संवितरण अधिकारियों) द्वारा उनके अधीनस्थ संवितरको (परिक्षेत्राधिकारियों) को प्रदाय किये जाने वाले वन अग्रिम की सीमा रूपये 2,00,000/– (रू. दो लाख मात्र) प्रतिदिन निर्धारित की गई थी। वर्तमान में मजदूरी की दरो में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुये तथा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा प्रतिवेदित कठिनाईयों को दृष्टिगत् रखते हुये पूर्ण विचारोपरान्त इस संबंध में निम्नानुसार पुनरीक्षित आदेश दिये जाते है :–

1- वेतन के भुगतान के लिये जारी किये जाने वाले प्रथम चैक की कोई सीमा नहीं होगी। वन कार्यो के व्यय से संबंधित भुगतान के लिये आवश्यकतानुसार परिक्षेत्राधिकारियों को दी जाने वाली धनादेश की सीमा रू. 5,00,000 /– (रू पॉच लाख मात्र) प्रतिदिन निर्धारित की जाती है। अगला चैक तभी जारी किया जावेगा जब परिक्षेत्र अधिकारी के पास अवशेष राशि रू. 30,000 /– (रू. तीस हजार मात्र) से कम हो।

2- परिक्षेत्र अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ परिक्षेत्र सहायको को दी जाने वाली अग्रिम की राशि रूपये 25,000 /– (रू. पच्चीस हजार मात्र) से अधिक नहीं होगी।

3- परिक्षेत्र अधिकारियों के पास माह के अंत में बंद सिल्क रू. 30,000 /– (रू.तीस हजार मात्र) से अधिक नहीं होगी। इस राशि में परिक्षेत्र सहायको के पास शेष अग्रिम की राशि भी सम्मिलित होगी।

ये आदेश जारी करने के दिनांक से लागू होगी।

(धीरेन्द्र शर्मा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, रायपुर